न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
उनवान पृथ्वीसिंह बनाम मोहनलाल वगै0
किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. –29/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	बाद बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय मिसल दिनांक 18/08/25 को पेश हो	
18.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय/फरिकेन उपस्थित। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रींगस से प्राप्त होकर शामिल मिसल है। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी जा चुकि है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा उपस्थित पक्षकारान व अधिवक्तागण से जाहिर आया कि प्रतिवादी सं0 6 ता 11 के पिता/नाना कालूराम का देहान्त हो चुका है। तथा कालू के वारिसान को वाद में पक्षकारन प्रतिवादी सं0 6 ता 11 पर पूर्व से संयोजित कर रखा है। विभाजन प्रस्ताव में कालूराम पुत्र स्वरूपा जाति जाट के हिस्से में ख. न. 1339/3 रकबा 0.0332 है0 व ख.न. 1501/2 रकबा 0.0540 है0 कुल किता–2 रकबा 0.0872 आयी है अतः कालूराम पुत्र स्वरूपा जाति जाट के विभाजन में आने वाली भूमियां उसके वारिसान 6 ता 11 के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावे। उभय पक्ष का निवेदन सुना गया। विभाजन प्रस्ताव में नवीन प्रविष्टि के कॉलम में क्रम सं. 3 पर अंकित मृतक खातेदार कालू पुत्र रूवरूपा जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर विभाजन में उसके हिस्से आई भूमि ख.न. 1339/3 रकबा 0.0332 है0 व ख.न. 1501/2 रकबा 0.0540 है0 कुल किता–2 रकबा 0.0872 [illegible] ग्राम रींगस पटवार हल्का रींगस तहसील रींगस [illegible] पर वारिसान प्रतिवादीगण सं0 6 ता 11 के हिस्से [illegible] खातेदारी दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अ[illegible] दरागद किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद स्वीकार कर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि :–	

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Breiesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0आ0/2025/2860 दिनांक 06.08.2025 के ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में नवीन प्रतिष्टि के कॉलम में क्रम सं. 3 पर अंकित मृतक खातेदार कालू पुत्र स्वरूपा जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में आई भूमियां ख.न. 1339/3 रकबा 0.0332 है0 व ख.न. 1501/2 रकबा 0.0540 है0 कुल किता–2 रकबा 0.0872 का वाके ग्राम रींगस पटवार हल्का रींगस तहसील रींगस का कालू पुत्र स्वरूपा के स्थान पर कालूराम पुत्र स्वरूपा के वारिसान प्रतिवादीगण सं0 6 ता 11 के नाम खातेदारी हिस्से अनुसार दर्ज करतें हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। इसी भांति पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested